



कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर
आयुक्त, प्रथम तल, 'आयकर
भवन', तेलंगखेड़ी रोड, सिविल
लाइन्स, नागपुर-440 001

Office Of The Principal Chief
Commissioner Of Income Tax, Nagpur
1st Floor, Aayakar Bhawan,
Telangkhedi Road, Civil Lines,
Nagpur-440 001



Tel. 0712-2563865, 2565654, 2520151, Email: nagpur.pccit@incometax.gov.in

परिपत्र / Circular

दिनांक / Date: 14 /08 /2026

विषय(Subject): आयकर अधिकारी (ITO) की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किए जाने के संबंध में - स्पष्टीकरण - सम्बन्धित (Grant of two advance increments on passing of Departmental Examination for Income Tax Officer (ITO) - Clarification regarding - reg.)

उपर्युक्त विषय के संबंध में, निम्नलिखित मुद्दों पर स्पष्टीकरण हेतु मानव संसाधन विकास निदेशालय (HRD), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली से मार्गदर्शन माँगा गया था:

On the subject cited above, clarification on the following issued was sought from the Directorate of Human Resource Development (HRD), CBDT, New Delhi:

(क) क्या पूर्ववर्ती वरिष्ठ कर सहायक (Sr. TA)/कार्यालय अधीक्षक (OS), जिन्होंने आयकर अधिकारी (ITO) की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की है, अर्थात् जो उनके पद से दो ग्रेड उच्च है, को दो अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान की जा सकती हैं?

Whether two advance increments are allowable to erstwhile Sr. TA/OS who has passed the Departmental Examination for Income Tax Officer (ITO) i.e. two grades higher than his position?

(ख) क्या ऐसे कर्मचारी को अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान की जा सकती हैं, जिन्होंने आयकर निरीक्षक (Inspector of Income Tax) के रूप में रहते हुए उक्त परीक्षा उत्तीर्ण की हो, लेकिन बाद में उन्हें पूर्ववर्ती वरिष्ठ कर सहायक (Sr. TA)/कार्यालय अधीक्षक (OS) जैसे निम्न पद पर प्रत्यावर्तित (reverted) कर दिया गया हो?

Whether advance increments are allowable to an official who passed the exam as Inspector of Income Tax but was subsequently reverted to a lower post say erstwhile Sr. TA/OS?

(ग) यदि पूर्ववर्ती वरिष्ठ कर सहायक (Sr. TA)/कार्यालय अधीक्षक (OS) को अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान की जानी हैं, तो उन्हें किस समय से प्रदान किया जाना चाहिए, अर्थात् परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से, जब वे आयकर निरीक्षक से निम्न पद पर कार्यरत थे, अथवा आयकर निरीक्षक के पद पर उनकी पदोन्नति की तिथि से?

If the advance increments are allowable to erstwhile Sr. TA/OS, then at what point of time should they be allowed i.e. whether on the date of passing the examination when they were holding posts lower than Inspector of Income Tax or on the date of their promotion to the post of Inspector of Income Tax.

2. मानव संसाधन विकास निदेशालय, सीबीडीटी, नई दिल्ली ने इस विषय से संबंधित प्रचलित निर्देशों, जिनमें फा.सं. 2(29)-Adm.VII/53 दिनांक 24.07.1955, फा.सं. A-26017/62/76-Ad.IX दिनांक 19.02.1977 तथा फा.सं. A-26017/1/96-Ad.IX दिनांक 23.02.1996 शामिल हैं, के आलोक में मामले की जांच की।

The Directorate of HRD, CBDT, New Delhi examined the matter in the light of the extant instructions on the subject, including F.No. 2(29)-Adm.VII/53 dated 24.07.1955, F.No. A-26017/62/76-Ad.IX dated 19.02.1977 and F.No. A-26017/1/96-Ad.IX dated 23.02.1996.

3. मानव संसाधन विकास निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि चूंकि ये निर्देश ऐसे संवर्ग ढांचे के संदर्भ में जारी किए गए थे, जिनमें बाद में पुनर्गठन किया जा चुका है, अतः इन निर्देशों को तत्कालीन ग्रेड नामावली के आधार पर नहीं, बल्कि उनमें प्रतिपादित सिद्धांत (ratio) के आधार पर लागू किया जाना चाहिए। उक्त सिद्धांत के अनुसार, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धियां तभी देय होती हैं, जब उत्तीर्ण की गई परीक्षा संबंधित अधिकारी के तत्काल अगले उच्चतर ग्रेड के लिए निर्धारित हो, अर्थात् जिस ग्रेड को अधिकारी विधि-सम्मत रूप से (de jure) धारण करता है, वह उस ग्रेड का फीडर (अगला निम्नतर) ग्रेड हो, जिसके लिए परीक्षा उत्तीर्ण की गई है। जहां उत्तीर्ण की गई परीक्षा तत्काल अगले उच्चतर ग्रेड से संबंधित नहीं है, वहां अधिकारी के निम्नतर ग्रेड में बने रहने के दौरान कोई अग्रिम वेतन वृद्धि देय नहीं होती है। तथापि, यह लाभ समाप्त नहीं होता है, बल्कि यह लाभ उस समय प्रभावी (crystallise) होता है और फीडर ग्रेड के वेतनमान में उस तिथि से प्रदान किया जाता है, जिस तिथि से अधिकारी विधि-सम्मत रूप से उक्त फीडर ग्रेड को धारण करता है। यह सिद्धांत दिनांक 23.02.1996 के पत्र में प्रतिपादित किया गया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि कर सहायक, कर सहायक के रूप में कार्य करते हुए ITO की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर "किसी अग्रिम वेतन वृद्धि का हकदार नहीं है, क्योंकि ITO का पद TA से तत्काल अगला उच्चतर ग्रेड नहीं है", जबकि फीडर ग्रेड अर्थात् हेड क्लर्क के ग्रेड में पहुंचने पर उक्त लाभ "हेड क्लर्क के ग्रेड में प्रदान किया जाएगा"। यही सिद्धांत दिनांक 19.02.1977 के पत्र में भी अनुरूपता (analogy) के आधार पर लागू किया गया है।

The Directorate of HRD has clarified that since these instructions were issued against cadre structures that have since undergone restructuring, they are to be applied by the principle (ratio) they lay down and not by their grade nomenclature. That principle is a single functional test: two advance increments for passing a departmental examination accrue only where the examination passed is the one prescribed for the official's next higher grade that is, where the grade the official de jure holds is the feeder (next-lower) grade to the grade whose examination he has passed. Where the examination passed is not that of the

immediate next higher grade, no increment accrues while the official remains in that lower grade; the benefit is not forfeited, but crystallises and is granted in the pay scale of the feeder grade from the date the official validly holds that feeder grade. This is the ratio of the letter dated 23.02.1996 (a Tax Assistant being "not entitled to any advance increment on passing the ITO's Examination while working as T.A. as the post of ITO is not in the next higher grade to TA", while the benefit is "granted in the grade of Head Clerk" on reaching the feeder grade), applied by analogy in the letter dated 19.02.1977.

4. वर्तमान पदोन्नति पदानुक्रम में वरिष्ठ कर सहायक/कार्यालय अधीक्षक (Sr. Tax Assistant/Office Superintendent) → आयकर निरीक्षक (ITI) → आयकर अधिकारी (ITO) है, जिसमें आयकर निरीक्षक (ITI) का ग्रेड, आयकर अधिकारी (ITO) के पद का फीडर ग्रेड है। तदनुसार, मानव संसाधन विकास निदेशालय (HRD) द्वारा निम्नलिखित स्थिति स्पष्ट की गई है:

In the present promotional hierarchy of Sr. Tax Assistant/Office Superintendent → Inspector of Income Tax (ITI) → Income Tax Officer (ITO), the Inspector of Income Tax grade is the feeder grade to the post of ITO. Accordingly, the following position has been clarified by HRD:

- (क) पूर्ववर्ती वरिष्ठ कर सहायक (Sr. TA)/कार्यालय अधीक्षक (OS) को, वरिष्ठ कर सहायक/कार्यालय अधीक्षक के ग्रेड में रहते हुए ITO की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कोई अग्रिम वेतन वृद्धि देय नहीं है, क्योंकि ITO का पद उक्त ग्रेड का तत्काल अगला उच्चतर ग्रेड नहीं है। तथापि, यह लाभ समाप्त नहीं होता है; यह लाभ तब प्रभावी होता है जब अधिकारी विधि-सम्मत रूप से ITO के फीडर ग्रेड, अर्थात् आयकर निरीक्षक (ITI) के ग्रेड में आता है और तत्पश्चात् उसे आयकर निरीक्षक के वेतनमान में प्रदान किया जाता है।

No advance increment is admissible to an erstwhile Sr. TA/OS on passing the ITO Examination while he holds the Sr. TA/OS grade, the ITO not being the next higher grade to that grade. The benefit is, however, not forfeited; it crystallises when the official validly reaches the feeder grade to ITO, i.e. the Inspector (ITI) grade, and is then granted in the Inspector's pay scale.

- (ख) पात्रता का निर्धारण उस ग्रेड के आधार पर किया जाना है, जिसे अधिकारी ने परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि को विधि-सम्मत रूप से (de jure) धारण किया था, न कि उस ग्रेड के आधार पर जिसमें वह नाममात्र रूप से कार्यरत था। यदि बाद में वरिष्ठता के पुनरीक्षण के कारण अथवा इस निष्कर्ष के आधार पर कि परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि को पदोन्नति विधि-सम्मत रूप से प्रभावी नहीं हुई थी, यह पाया जाता है कि अधिकारी ने उक्त तिथि को आयकर निरीक्षक का ग्रेड विधि-सम्मत रूप से धारण नहीं किया था, तो पात्रता का पुनः निर्धारण उस ग्रेड के आधार पर किया जाएगा जिसे अधिकारी ने उस तिथि को विधि-सम्मत रूप से धारण किया था। यदि वह ग्रेड वरिष्ठ कर सहायक (Sr. TA)/कार्यालय अधीक्षक (OS) का है, तो उस स्तर पर ITO की परीक्षा उत्तीर्ण

करने पर कोई अग्रिम वेतन वृद्धि देय नहीं होगी तथा उक्त लाभ तब तक स्थगित रहेगा, जब तक अधिकारी विधि-सम्मत रूप से आयकर निरीक्षक (ITI) के ग्रेड में नहीं आ जाता।

Eligibility is to be tested against the grade the official de jure held on the date of passing, and not the grade nominally occupied. Where, on a subsequent revision of seniority or on a finding that the promotion did not validly take effect on the date of passing, the official is held not to have validly held the Inspector grade on that date, eligibility is re-tested against the grade he de jure held. If that grade is the Sr. TA/OS, no advance increment accrues for the ITO Examination at that level, and the benefit stands deferred until he validly holds the Inspector (ITI) grade.

- (ग) दोनों अग्रिम वेतन वृद्धियां उस तिथि से प्रदान की जानी हैं, जिस तिथि से अधिकारी विधि-सम्मत रूप से आयकर निरीक्षक (ITI) का ग्रेड धारण करता है। आयकर निरीक्षक (ITI) वह फीडर ग्रेड है, जिसके लिए ITO की परीक्षा तत्काल अगले उच्चतर ग्रेड से संबंधित है। अतः अग्रिम वेतन वृद्धियां परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि से नहीं, बल्कि आयकर निरीक्षक (ITI) का ग्रेड विधि-सम्मत रूप से धारण करने की तिथि से देय होंगी। यदि परीक्षा के परिणाम घोषित होने की तिथि को अधिकारी केवल वरिष्ठ कर सहायक/कार्यालय अधीक्षक (Sr. TA/OS) का ग्रेड धारण करता था, तो दोनों अग्रिम वेतन वृद्धियां उस तिथि से देय होंगी, जिस तिथि से वह विधि-सम्मत रूप से आयकर निरीक्षक (ITI) के ग्रेड में आता है।

The increments are to be allowed from the date the official validly holds the Inspector (ITI) grade, the feeder grade for which the ITO Examination is the next higher grade and not from the date of passing the examination. Where, on the date of declaration of result, the official held only the Sr. TA/OS grade, the increments run from the date he validly enters the Inspector (ITI) grade.

5. उपरोक्त स्पष्टीकरण को सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के संज्ञान में लाया जाए तथा विभागीय परीक्षा (परीक्षाओं) उत्तीर्ण करने पर अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किए जाने से संबंधित मामलों में उक्त स्पष्टीकरण को ध्यान में रखा जाए।

The above clarification may be brought to the notice of all concerned officers/officials and may be kept in view while dealing with cases relating to grant of advance increments on passing the Departmental Examination(s).

6. सभी कार्यालयाध्यक्षों (HODs) को निर्देशित/अनुरोध किया जाता है कि वे अपने-अपने कार्यालयों में विभागीय परीक्षा (परीक्षाओं) उत्तीर्ण करने पर प्रदान की गई दो अग्रिम वेतन वृद्धियों से संबंधित सभी मामलों की जांच करें, विशेष रूप से ऐसे मामलों की, जिनमें संबंधित अधिकारी को बाद में फीडर ग्रेड में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से बाद की किसी तिथि से पदोन्नति प्रदान की गई हो अथवा उसकी पदोन्नति का प्रभाव बाद की तिथि से पुनर्निर्धारित किया गया हो।

All HODs are hereby directed/requested to examine all cases of grant of two advance increments on passing the Departmental Examination(s) in their respective offices, particularly cases where the official was subsequently granted/revised promotion to the feeder grade with effect from a date later than the date of declaration of the examination result.

7. ऐसे मामलों में, जहां उपरोक्त स्पष्टीकरण के विपरीत अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान की गई हैं, ऐसे मामलों की पुनः समीक्षा की जाए तथा, यदि कोई अधिक भुगतान हुआ है, तो लागू नियमों/निर्देशों के अनुसार उसकी गणना कर वसूली की कार्रवाई की जाए। जहां आवश्यक हो, वेतन निर्धारण एवं उससे संबंधित परिणामी लाभों के संबंध में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई भी की जाए।

In cases where the advance increments have been granted contrary to the above clarification, the matter shall be reviewed and excess payment, if any, shall be worked out and recovered in accordance with the applicable rules/instructions. The necessary corrective action regarding pay fixation and consequential benefits shall also be taken, wherever required.

8. ऐसे मामलों की जांच तथा की गई कार्रवाई, जिसमें जहां भी लागू हो, अधिक भुगतान की वसूली भी शामिल है, के संबंध में रिपोर्ट, यदि कोई हो, इस कार्यालय को 30.09.2026 तक प्रस्तुत की जाए।

A report regarding the examination of such cases and action taken, including recovery of excess payment wherever applicable, be furnished to this office by 30.09.2026, if any.

9. यह परिपत्र प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, नागपुर की पूर्वानुमति से जारी किया गया है।

This circular is issued with the prior approval of the Pr. Chief Commissioner of Income Tax, Nagpur.



(रवि प. कुकड़े)

सहायक आयकर आयुक्त(मुख्यालय)(प्रशासन)

कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, नागपुर

F. No. Pr. CCIT/NGP/Estt.-I/Misc./111/Vol.-4/2026-27

दिनांक: .08.2026

प्रतिलिपि:-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त।
2. आयकर महानिदेशक (अन्वेषण), पुणे।
3. आयकर महानिदेशक (प्रशिक्षण), राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर।
4. सभी प्रधान आयकर आयुक्त-1/2/क्षेत्र.इ.नि.के.(वी.यू.)-1/केन्द्रीय/ प्रधान आयकर निदेशक (अन्वेषण), नागपुर।
5. सभी आयकर आयुक्त(अपील)-यूनिट-1/यूनिट-2/3/लेखा परीक्षा एवं आई.टी.ए.टी./टी.डी.एस./ प्रशासन एवं टी.पी.एस./ आयकर निदेशक (आसूचना एवं आपराधिक अन्वेषण), नागपुर।

6. अपर आयकर आयुक्त(छूट), अपर आयकर आयुक्त (अपील)-1 एवं 2, नागपुर।
7. संयुक्त निदेशक (सिस्टम), नागपुर।
8. उप निदेशक (राजभाषा) / प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड- II/III और प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, नागपुर के अंतर्गत सभी अनुभाग।
9. मुफस्सिल में स्थित आयकर कार्यालय के सभी कार्यालय प्रधान ।
10. आयकर अधिकारी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान), नागपुर/क्षेत्रीय लेखा अधिकारी, सीबीडीटी, नागपुर।
11. सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, नागपुर क्षेत्र।
12. गार्ड फाइल/नोटिस बोर्ड।

सहायक आयकर आयुक्त(मुख्यालय)(प्रशासन)
कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, नागपुर